राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5912/2021

रणवीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलेक्टर, भरतपुर (राज.)।
3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर (राज.)।
4. उपखंड अधिकारी रूपबास, जिला भरतपुर (राज.)।
5. राजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील नदबई, जिला भरतपुर (राज.)।
6. मदन मोहन सैनी, कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील कमान, जिला भरतपुर (राज.)।
7. महिपाल सिंह, कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील नदबई, जिला भरतपुर (राज.)।
8. श्रीमती कमलेश, कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील नदबई, जिला भरतपुर (राज.)।
9. विक्रम सिंह, कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसील भुसावर, जिला भरतपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.11.2021
आदेश की दिनांक : 21.12.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मुनेश भारद्वाज, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2018 एवं आदेश दिनांक 26.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी की वरिष्ठता को उचित स्थान पर दर्शाते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यालय उपखंड अधिकारी, रूपवास, जिला

भरतपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.03.2010 को सहायक कर्मचारी के पद पर हुई थी और उसे कार्यालय उपखंड अधिकारी, रूपवास, जिला भरतपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2014 में माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा स्नातक योग्यता भी अर्जित की है। और आरएससीआईटी का कोर्स वर्ष 2013 में उत्तीर्ण किया है, जो अनुलग्नक–6 से प्रकट होता है और जिसका अंकन आदेश दिनांक 18.10.2016, 12.02.2018 एवं 15.02.2018 के द्वारा सेवाभिलेख में दर्ज किया गया है, परंतु अपीलार्थी आरएससीआईटी एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा का अंकन सेवाभिलेख में नहीं किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 102 पर दर्शाया गया, परंतु उच्च माध्यमिक शिक्षा का अंकन नहीं किया गया और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद के लिए डीपीसी दिनांक 06.10.2021 को आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया तथा 6 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमें सुनील कुमार जिसको रिक्ति वर्ष 2016 के विरूद्ध तथा 5 अन्य कार्मिकों को रिक्ति वर्ष 2018 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई। जबकि उक्त पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता आरएससीआईटी एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, परंतु उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए उक्त कार्मिक योग्य नहीं हैं। परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त कार्मिकों को निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से 9 को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2018 एवं आदेश दिनांक 26.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी की वरिष्ठता को उचित स्थान पर दर्शाते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र सभी कार्मिकों को सेवाभिलेख एवं उनके द्वारा सेवा में नियुक्ति के पश्चात् अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता के संबंध में नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों के साथ–साथ कार्मिकों के सेवाभिलेखों के प्रशिक्षण उपरांत भी कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दिए जाने

का निर्णय लिया गया। उपखंड अधिकारी, रूपवास से जारी स्वीकृति में अंकित दिनांक में कांट–छांट होने पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाकर बैठक कार्यवाही विवरण में विभागाध्यक्ष भरतपुर को सिफारिश की गई और जांच कराये जाने के आदेश दिए गए और इस कारण उसका अंकन सेवाभिलेख में नहीं किया गया तथा पदोन्नति हेतु पात्र भी नहीं माना गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यालय उपखंड अधिकारी, रूपवास, जिला भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.03.2010 को सहायक कर्मचारी के पद पर हुई थी और उसे कार्यालय उपखंड अधिकारी, रूपवास, जिला भरतपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी द्वारा दसवीं एवं बारहवीं की योग्यता वर्ष 2014 एवं 2016 में अर्जित की गई तथा योग्यता अर्जित करने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा विभाग से अनुमति भी ली गई, जो आदेश दिनांक 08.09.2015 से प्रकट होता है तथा अपीलार्थी द्वारा आरएससीआईटी का कोर्स करने हेतु भी अनुमति ली गई, जो आदेश दिनांक 02.01.2013 से प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा विभाग की अनुमति द्वारा ही उक्त योग्यता अर्जित की गई है, जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में उक्त पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यता दसवीं/बारहवीं तथा आरएससीआईटी कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और कार्यालय जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2021 जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 74 पर दर्शाया गया है और शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी एवं आरएससीआईटी दर्शाया गया है और क्रम संख्या 94 पर श्री विक्रम का नाम दर्शाया गया है, जिनकी योग्यता मात्र 9वीं पास दर्शाया गया है एवं उसे आलोच्य आदेश दिनांक 26.10.2021 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि उक्त पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं/12वीं एवं आरएससीआईटी कोर्स अनिवार्य है। परंतु अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की योग्यता एवं वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर रिव्यु डीपीसी की जाकर यदि अपीलार्थी योग्य पाया जाता है तो उसे कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य